

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2011

विषय: उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह के विनियमन और नियंत्रण के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम 1975 के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (विनियमन और नियंत्रण) नियमावली 2005 प्रभावी है। नियमावली में पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में सूची तैयार करने तथा सूची पर आपत्तियों आमंत्रित करने, आपत्तियों का निस्तारण करने एवं उक्त स्थानों को संरक्षित करने यथा अतिक्रमण से मुक्त करने, पशुओं के प्रवेश को रोकने तथा उक्त स्थानों के उपयोग करने की अनुमति देने हेतु नगर निगम क्षेत्र में संबंधित मण्डल के मण्डलायुक्त तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र होने की दशा में जिलाधिकारी को विहित प्राधिकारी बनाया गया है।

2. उक्त नियमावली के नियम 4(1) में व्यवस्था है कि स्थानीय निकायों द्वारा अपनी-अपनी अधिकारिता क्षेत्र से संबंधित पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों के संबंध में सूची तैयार की जायेगी। सूची में पार्कों, खेल के मैदानों तथा खुली जगहों की वार्डवार क्रम संख्या, नाम, अवस्थिति, आकार/क्षेत्रफल तथा अन्य सुसंगत सूचनाएँ होंगी। विहित प्राधिकारी जो नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त तथा नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट है, द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों की सूची अनुमोदित की जायेगी। उक्त सूची रेखांकन मानचित्र, अभिलेख या भू-अभिलेख विहित शुल्क का संदाय करने पर स्थानीय निकाय के अभिलेख कक्ष में निरीक्षण हेतु जनता के लिये उपलब्ध रहेंगे।

3. नियमावली के नियम 8(2) में यह प्राविधान है कि ऐसे पार्क, खेल के मैदान अथवा खुली जगहें जो विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषदों, आवास समितियों, निर्माताओं और ऐसे अन्य अभिकरणों द्वारा विकसित किये गये हों, किन्तु स्थानीय निकायों को न सौंपे गये हों,



